कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर (म.प्र.)
निविदा
(कंप्यूटर प्रिंटर कॉर्टेज क्रय किये जाने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना)

क्र./5351/निविदा/ इंदौर, दिनांक 05/11/2020

जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर के न्यायालयीन एवं कार्यालयीन उपयोग हेतु प्रिंटर कॉर्टेज क्रय किये जाने हेतु निविदाकर्ताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है।

स.क्र.	सामग्री का नाम	प्रति नग रुपये
1	Lexmark B220Z00 Imaging Unit	
2	Canon Cartirage 6230	
3	Canon Image Class LBP 151 DW	

इच्छुक निविदाकर्ता कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर के नजारत अनुभाग से ई–टेंडर/निविदा के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर दिनांक 25.11.2020 के सायंकाल 05.00 बजे तक बंद लिफाफे में निविदा फॉर्म राशि रुपये 1000/– ऑनलाइन mptreasury.org (cyber treasury-other department-law and lagislative) की बेबसाइड पर जाकर शासन का हेड 0070–01–800–0000 (other reciept) में जमा कर रसीद संलग्न करें एवं डाक के माध्यम से "जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर" के नाम से निविदा प्रस्तुत कर सकते है। उक्त राशि **वापसी योग्य नही** होगी, निविदा MPHC.GOV.IN पर देखी जा सकती है।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा तथा प्राप्त निविदाओं को दिनांक 28.11.2020 का सायंकाल 05.00 बजे विभागीय क्रय समिति द्वारा खोला जावेगा। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार क्रय समिति को होगा। निविदा की शर्ते संलग्न है।

(कंप्यूटर प्रिंटर कॉर्टेज क्रय किये जाने बावत् निविदा शर्ते)

1. सील वंद निविदाएं जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर के नाम से प्रेषित की जाना चाहिए।
2. लिफाफे पर स्पष्ट रुप से कंप्यूटर प्रिंटर कॉर्टेज क्रय किये जाने हेतु निविदा लिखा जाना चाहिये, नियत समयावधि के पश्चात निविदा प्राप्त होने पर विचार नही किया जावेगा।
3. आदेशानुसार वांछित कॉर्टेज जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर के कक्ष तक पहुॅंचाने का समस्त उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये निविदाओं को निरस्त कर सकते है।
5. निविदा में प्रत्येक कॉर्टेज की कंपनी का नाम एवं निर्धारित मूल्य पर दी जाने वाली छूट आदि का विवरण देना अनिवार्य होंगा।
6. निविदाकर्ता वाणिज्यिक विभाग से पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
7. किसी भी शर्त के भंग होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. सभी कॉर्टेज की दरें उस पर देय समस्त करों (जी.एस.टी) सहित दी जावें।
9. राशि रुपये 2,50,000/–(अक्षरी दो लाख पच्चीस हजार मात्र) से अधिक देयकों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।

sd/-
ADDL. JUDGE
to District & Sessions Judge
INDORE (M.P.)

कृते. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
इंदौर(म.प्र)

/home/ubuntu/Desktop/SATYA/tender/tender nivida.docx

(31)

इंदौर, दिनांक 05/11/2020

क्र./ 5352 / निविदा/

प्रतिलिपि–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, प्रकाशन विभाग, वाणगंगा रोड भोपाल की ओर उक्त निविदा स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 18.11.2020 के पूर्व प्रेषित कर पेपर की प्रति इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।

2. श्री दिनेश कुमार चौहान, सिस्टम ऑफिसर को सूचित किया जावे कि उक्त निविदा हाईकोर्ट की बेबसाइड MPHC.GOV.IN पर अपलोड करे।

5/11/20

ADDL. JUDGE
to District & Sessions Judge
INDORE (M. P.)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
इंदौर(म.प्र.)

/home/ubuntu/Desktop/SATYA/tender/tender nivida.docx